

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, भागलपुर।

पटना, दिनांक- 16/3/15

विषय:- राज्य योजना मद अंतर्गत गंगा किनारे बरारी पुल घाट में पूर्व से निर्मित घाट के पूरब तरफ अतिरिक्त 80 फीट घाट एवं पथ कार्य को बदल कर मुसहरी घाट में पूर्व निर्मित घाट से सटे पश्चिम तरफ घाट निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 3780, दिनांक- 15.12.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या- 63, दिनांक- 11.02.2013 के क्रमांक- 05 द्वारा भागलपुर, नगर निगम में गंगा किनारे बरारी पुल घाट में पूर्व से निर्मित घाट के पूरब तरफ अतिरिक्त 80 फीट घाट एवं पथ कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 49.492 लाख आवंटित किया गया था। आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि तकनीकी कारणों से उक्त योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है। उक्त राशि से एक नई योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जो नगर निगम के समान्य बोर्ड की बैठक में पारित है।

अतः आपके अनुरोध एवं नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	आवंटित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	6
1	नगर निगम, भागलपुर	मुसहरी घाट से सटे पश्चिम तरफ घाट निर्माण कार्य।	49.492	49.492

2. उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन नगर निगम भागलपुर द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-63, दिनांक- 11.02.2013 में अंकित शर्तों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

16.03.15

सरकार के विशेष सचिव

djh

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, भागलपुर।

पटना, दिनांक-

विषय:- राज्य योजना मद अंतर्गत गंगा किनारे बरारी पुल घाट में पूर्व से निर्मित घाट के पूरब तरफ अतिरिक्त 80 फीट घाट एवं पथ कार्य को बदल कर मुसहरी घाट में पूर्व निर्मित घाट से सटे पश्चिम तरफ घाट निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक- 3780, दिनांक- 15.12.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या- 63, दिनांक- 11.02.2013 के क्रमांक- 05 द्वारा भागलपुर, नगर निगम में गंगा किनारे बरारी पुल घाट में पूर्व से निर्मित घाट के पूरब तरफ अतिरिक्त 80 फीट घाट एवं पथ कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 49.492 लाख आवंटित किया गया था। आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि तकनीकी कारणों से उक्त योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है। उक्त राशि से एक नई योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जो नगर निगम के समान्य बोर्ड की बैठक में पारित है।

अतः आपके अनुरोध एवं नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	आवंटित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	6
1	नगर निगम, भागलपुर	मुसहरी घाट से सटे पश्चिम तरफ घाट निर्माण कार्य।	49.492	49.492

2. उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन नगर निगम भागलपुर द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-63, दिनांक- 11.02.2013 में अंकित शर्तों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- 2ब०/ विविध-21-36/2013 1139 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-16/3/15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / जिला पदाधिकारी, भागलपुर / वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना / योजना एवं विकास विभाग / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना / विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा) / कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.03.15
सरकार के विशेष सचिव